



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित सर्वदलीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने सभी दलों से एकजुटता और आपसी सामंजस्य स्थापित करने का आह्वान किया और कहा कि वे प्रदेश हित में सरकार के साथ मिलकर कार्य करें।

मु.मंत्री भजनलाल ने सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से मिलकर काम करने का आह्वान किया

विभिन्न दलों ने केन्द्र व राज्य सरकार की जवाबी कार्यवाही व तैयारियों की सराहना की व सुझाव दिए

जयपुर, 10 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुरक्षा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हम परिस्थितियों का विश्लेषण कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अहम निर्णय ले रहे हैं। इसमें सरकार को सभी दलों का भी सहयोग मिलना बेहद आवश्यक है।

शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सर्वदलीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी दलों से एकजुटता और आपसी सामंजस्य स्थापित करने का आान करते हुए कहा कि वे प्रदेश हित में सरकार के साथ मिलकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं।

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी दलों से अपील की कि वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ सम्पर्क में रहें और राज्य सरकार द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन, रेस्क्यू कार्यक्रमों, ब्लैक आउट व अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े मामलों में सहयोग करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए सभी रिक्त पदों को तुरंत भरने की कार्यवाही की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत के मुताबिक आरएसी, आपदा राहत बलों, सिविल डिफेंस की अतिरिक्त नफरी सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने के लिए लगाई गई है। सीमावर्ती जिलों में प्रशासन ब्लैकआउट एवं आवागमन प्रतिबंधों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करा रहा है,

जिसमें नागरिकों का भी अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। शहदियों व अन्य समारोहों में तैयारी, चकाचौध एवं आतिशबाजी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। निजी ड्रोन को उड़ाने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।

शर्मा ने सभी दलों से अपील करते हुए कहा कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और वॉलेंटियर्स के साथ संपर्क में रहें और राज्य सरकार द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन, रेस्क्यू कार्यक्रमों, ब्लैक आउट और अन्य व्यवस्था से जुड़े मामलों में सहयोग करें।

करें।

सर्वदलीय बैठक में उपस्थित विभिन्न दलों के नेताओं ने कहा कि वे वर्तमान परिस्थिति में पूरी तरह राज्य सरकार के साथ हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई और वर्तमान परिस्थितियों में केन्द्र और राज्य सरकार की तैयारियों की सराहना करते हुए विभिन्न सुझाव दिए।

बैठक में उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैवा, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, कांग्रेस पार्टी प्रतिनिधि व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायकरफीक खान, राष्ट्रीय लोकदल से विधायक डॉ. सुभाष गर्ग, बहुजन समाज पार्टी से विधायक मनोज कुमार एवं भारत आदिवासी पार्टी से विधायक उमेश मीणा उपस्थित थे।

प.बंगाल में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गांव से महिलाओं और बच्चों सहित 24 अवैध बंगलादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी के बाद उठाया गया है, जिससे संभावित मानव तस्करी और सीमा पार नेटवर्क पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "पश्चिम बंगाल में भारत-बंगलादेश सीमा का 350 किलोमीटर लंबा नदी क्षेत्र हमेशा से सुरक्षा के लिए चुनौती रहा है, क्योंकि बाड़ लगाना संभव नहीं है और भौतिक निगरानी ही एकमात्र विकल्प है।" उन्होंने कहा कि बल लगातार सतर्कता बरता है, लेकिन जलमार्गों के माध्यम से घुसपैठ का जोखिम अभी भी बना हुआ है।

ऑपरेशन सिंदूर ने 5 आतंकवादी सरगना का सफाया किया

नयी दिल्ली, 10 मई। पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों के 6 मई की रात को चलाये गये ऑपरेशन सिंदूर में पांच आतंकवादी सरगनाओं के साथ साथ सैकड़ों अन्य आतंकवादी मारे गये।

सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में मौलाना मसूद अजहर के परिजनों सहित ऐसे बर्बर आतंकवादी मारे गये हैं जिनकी भारत में कई बड़े आतंकवादी हमलों में तलाश थी।

मारे गये आतंकवादियों में कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुद्दसर खादियां खास उर्फ मुद्दसर उर्फ अबु जुंदाल भी शामिल है। यह मरकज तैयबा, मुरिदेक़े का प्रभारी था और इसकी पाकिस्तानी सरकार ने अच्छी पैठ थी। पाकिस्तान सेना द्वारा

- ये सभी भारत में बड़े आतंकवादी हमलों में लिप्त थे व पाकिस्तान सरकार में प्रभावी थे।

उसके अंतिम संस्कार में गाई ऑफ ऑनर दिया गया। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की ओर से उसे पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके अंतिम संस्कार की नमाज एक सरकारी स्कूल में आयोजित की गई, इसमें जमात-उद-दावा के नामित वैश्विक आतंकवादी के हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया। पाकिस्तानी सेना एक सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के आईजी-नमाज में शामिल हुए। इस ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद

न्यूज चैनल नागरिक सुरक्षा सायरन का उपयोग समझदारी से करें

नयी दिल्ली, 10 मई। नागरिक सुरक्षा महानिदेशक ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच नागरिक सुरक्षा तैयारियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मीडिया चैनलों को सलाह दी है कि वे अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के प्रति लोगों को सचेत करने वाले सायरन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इसे बेवजह बजाने से इसके प्रति लोगों की संवेदनशीलता खत्म हो जायेगी।

नागरिक सुरक्षा महानिदेशक ने शनिवार को यहां नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 3(1) का इस्तेमाल करते हुए, मीडिया चैनलों को इन सायरनों का अपने कार्यक्रमों में

- नागरिक सुरक्षा महानिदेशक ने कहा कि चैनलों द्वारा अपने कार्यक्रमों में सायरन बजाने से इसके प्रति लोगों की संवेदनशीलता खत्म हो जायेगी।

इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है।

सलाह में कहा गया है कि इस सायरन का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से लोगों की इसके प्रति संवेदनशीलता समाप्त हो जायेगी और लोग इसे नियमित मामला समझ कर इसकी परवाह नहीं करेंगे। इसमें कहा गया है कि इसका परिणाम यह होगा कि जब वास्तव में हवाई हमले से सचेत रहने के लिए सायरन बजाया जायेगा तो लोग उस पर भी ध्यान नहीं देंगे।

उल्लेखनीय है कि अधिकतर मीडिया चैनल अपने कार्यक्रमों में इस तरह के सायरन का नियमित रूप से बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं।

क्या भारत-पाक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कांग्रेस कह रही है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, संसद का सत्र बुलाया जाए वे इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हैं, लेकिन अभी तक मोदी और उनकी सरकार पर खुलकर हमला नहीं कर रहे हैं। इस घटनाक्रम के राजनीतिक परिणाम आने वाले दिनों में दिखने शुरू होंगे, लेकिन फिलहाल तो युद्ध जैसी स्थिति के शोर-शराबे के बाद हर तरफ सन्नाह है।

चुनिंदा 3 2 हवाई अड्डे 1 4 मई तक बंद

इन हवाई अड्डों पर सभी नागरिक उड़ान गतिविधियाँ बंद रहेंगी

- इन हवाई अड्डों में राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर व किशनगढ़ हवाई अड्डे शामिल हैं।

उत्तरी और पश्चिमी भारत के 32 हवाई अड्डों को सभी तरह के नागरिक उड़ान संचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है।

तमिलनाडु, केरल व प.बंगाल में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने से सुप्रीम कोर्ट ने इन्कार किया

सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका खारिज कर दी

- जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि अगर किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है तो कोर्ट किसी भी राज्य को कोई भी राष्ट्रीय नीति मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता, वकील जी.एस. मणि पर भी सवालिया निशान लगाया और कहा कि वे भले मूलतः तमिलनाडु के हैं, पर, दिल्ली में रहते हैं और इस मामले में उनसे सीधे ही कोई हित जुड़े हुए नहीं हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नीति बनाना व लागू करना राज्य की सरकार व विधानसभा का काम है। कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता है।

खारिज की जाती है।"

भाजपा से सम्बद्ध वकील जी.एस. मणि द्वारा दायर इस याचिका में दलील दी गई है कि एनईपी 2020 को तीन राज्यों द्वारा लागू न किया जाना नागरिकों के मौलिक अधिकारों, खासतौर से शिक्षा के अधिकार का हनन है। याचिकाकर्ता ने एनईपी लागू करने के लिये इन राज्यों को निर्देश दिये जाने, तथा इसके लिये बाध्य करने के लिये केन्द्र सरकार के साथ मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग (एमओयू) किये जाने की माँग की थी।

मणि ने दलील दी थी कि त्रिभाषा सूत्र समावेश एवं न्यायसंगत शिक्षा के लिये, खासतौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिये बहुत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि खासतौर से तमिलनाडु सरकार, जो (उसके शब्दों में) "हिन्दी थोपे जाने" की निरन्तर विरोधी रही है, के राजनैतिक उद्देश्य उसे इन नीति को लागू करने से रोक रहे हैं।

केन्द्र सरकार ने, एनईपी का बचाव करते हुये, कहा है कि यह नीति बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करती है। तथा राज्यों और विद्यार्थियों को लचीलापन प्रदान करती है। किन्तु तमिलनाडु सरकार ने, अपने विरोध को

दोहराते हुये, तर्क दिया कि त्रिभाषा सूत्र गैर-हिन्दी भाषी राज्यों पर अनुचित दबाव डालता है तथा भाषाई संघवाद को कमजोर करता है।

मणि की याचिका पर की गई अपनी प्रतिक्रिया में, तमिलनाडु ने हिन्दी – विरोधी आंदोलन से लेकर अब तक की इस प्रकार की नीतियों के विरोध के इतिहास का उल्लेख किया तथा शैक्षिक ढाँचे के माध्यम से हिन्दी थोपने के किसी भी अप्रत्यक्ष प्रयास के खिलाफ अपने दृढ़ रुख को दोहराया।

इस मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुये, बेंच ने कहा कि नीति-निर्माण और उनका क्रियान्वयन राज्यों की विधायिका एवं कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है तथा न्यायिक हस्तक्षेप उन्हीं मामलों तक सीमित है, जहाँ संवैधानिक अधिकार प्रमाणित रुप से प्रभावित हो रहे हों।

एनईपी 2020 में प्रस्तावित त्रिभाषा नीति विद्यार्थियों को तीन भाषाएँ सीखने के लिये प्रेरित – प्रोत्साहित करती है, जिनमें कम से कम दो भारत की देशीय भाषाएँ हों, जो राष्ट्रीय एकता और भाषाई विविधता को प्रोत्साहित करती हों। तमिलनाडु, दो भाषाओं की नीति का अनुसरण करता है और उससे किसी भी प्रकार के विचलन को खारिज करने में काफी मुखर रहा है।

लोक अदालत में 5.98 लाख लंबित मुकदमों का हुआ निस्तारण

जयपुर, 10 मई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने हाईकोर्ट में लोक अदालत की विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर अनेक न्यायाधीश सहित, अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। लोक अदालत में कुल 5 लाख 98 हजार 407 लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। वहीं, प्री-लिटिगेशन सहित कुल 43.19 लाख प्रकरण राजीनामे से तय किए गए। इसके साथ ही, 6.15 अरब रुपए के अवार्ड जारी किए गए। भारत-पाक तनाव को देखते हुए, बालोतरा, बीकानेर,

- भारत-पाक तनाव को देखते हुए बालोतरा, बीकानेर, श्रीगंगानगर व जैसलमेर जिलों में लोक अदालत स्थगित रखी गई तथा जोधपुर में लोक अदालत दोहरा 12:30 बजे बाद स्थगित कर दी गई।

श्रीगंगानगर और जैसलमेर जिले में लोक अदालत को स्थगित रखा गया। वहीं, जोधपुर में भी दोपहर 12.30 बजे के बाद लोक अदालत को स्थगित कर दिया गया। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने का उद्देश्य शामिल किया गया है। ऐसे में न्याय प्रणाली को इस तरह का रूप दिया गया है कि वह मुकदमे की प्रकृति के अनुसार उसके पक्षकारों को न्याय प्रदान करे। कई पक्षकारों के बीच ऐसे विवाद व छोटे आपराधिक प्रकृति के मामले होते हैं, जिन्हें आपसी सहमति से ही सुलझाया जा सकता है।

सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उन्होंने कहा, संसद का एक विशेष सत्र तत्काल बुलाया जाए, जिसमें पिछले 18 दिनों की घटनाओं, विशेषकर पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले से लेकर अब तक की स्थिति पर विमर्श से चर्चा हो और आगे की दिशा तय की जाए, ताकि देश एकजुट होकर सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन कर सके।